प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2021 जनपद देवरिया।

दिनांक 06.05.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में–

01.थाना मईल पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचे एवं एक अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 06.05.2021 को थानाध्यक्ष मईल मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर भागलपुर से पिंडी रोड़ के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता शैलेन्द्र यादव पुत्र जयप्रकाश यादव सा0 विपुनपुर बलेसर थाना भीमपुरा जनपद बलिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद देशी अवैध तमंचा एवं एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद अवैध शस्त्र एवं कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02–निरोधात्मक कार्यवाही–

दिनांक 06.05.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है–

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 23 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

03–वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारीः–

➡**थाना भलुअनी**– 50/2021 धारा 147/148/149/302/307/352/323/504/506/188/269 IPC & 51(A) DISASTER MANG. ACT नाम व पता अभि0– 01.मनोज शाही पुत्र स्व0 धर्मदेव शाही 02.अरुण शाही पुत्र स्व0 धर्मदेव शाही 03.सत्येन्द्र राजभर पुत्र रामनिवास 04.अच्छेलाल राजभर पुत्र बोधई सा0 पैकोली थाना भलुअनी देवरिया।

➡**थाना खामपार**– 63/2021 धारा 147/148/149/332/333/353/336/307/392/511/188/269 ipc, 7CLA Act, 51(B) आपदा प्रबन्धन अधि0,व 134(1)/130 (A)(1)(2) लोक प्रतिनिधित्व अधि0 व 3/4 लोक सम्पति क्षति निवा0 अधि0 नाम पता अभि0–01.भोला यादव पुत्र पंचम यादव सा0 यादव टोला खामपार थाना खामपार, देवरिया।

04–जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही–

दिनांक 06.05.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 153 वाहनों से 153000– रूपये शमन शुल्क (ई–चालान) किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2021 जनपद देवरिया।

थाना भलुअनी पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले 04 मुख्य अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 04.05.2021 को थाना भलुअनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पैकोली में आपसी रंजिष को लेकर भरत कुमार पुत्र त्रिवेणी कुमार उम्र 65 वर्श एवं मनोज षाही पुत्र स्व0 धर्मदेव षाही आदि के मध्य विवाद में मनोज शाही द्वारा भरत कुमार उपरोक्त को चाकू मार दिया गया था, जिसमें भरत कुमार की चाकू लगने से ईलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मृत्यु हो गयी। जिसके संबन्ध में वादी अनिल सिंह पुत्र स्व0 भरत कुँवर निवासी–पैकौली थाना–भलुअनी जनपद–देवरिया की तहरीर के आधार पर थाना भलुअनी में मु0अ0सं0–50/2021 धारा–147,148,149,302,307, 352,323,504,506,188,269 भादसं 51(ए) आ0प्र0 अधि0 का अभियोग मनोज शाही पुत्र स्व0 धर्मदेव शाही समेत कुल 10 नामजद एवं 10 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना थानाध्यक्ष भलुअनी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष भलुअनी द्वारा दिनांक 06.05.2021 को मुखबिर की सूचना पर एकडंगा तिराहे के पास से उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तों में से अभियुक्तगण 01.मनोज शाही पुत्र स्व0 धर्मदेव शाही, 02.अरूण शाही पुत्र स्व0 धर्मदेव शाही, 03.सत्येन्द्र राजभर पुत्र रामनिवास, 04.अच्छेलाल राजभर पुत्र बोधई राजभर निवासीगण–पैकौली थाना–भलुअनी जनपद–देवरिया को गिफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।